



**सराहनीय कार्य, जनपद –जालौन**  
**दिनांक –01.04.2023**

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये दिनांक 31.03.2023 को कुल 05 अभियोगों में 12 अभियुक्तगणों को मान0 न्यायालय से आजीवन कारावास व अधिक से अधिक सजा तथा भारी अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है -

1 - थाना कोत0 कोंच में मु0अ0सं0 1085/2009 (वाद संख्या – 28/2010) धारा 302 भादवि बनाम तेज सिंह पुत्र चिट्टीराम निवासी ताहरपुरा थाना कोत0 कोंच जनपद जालौन के मामले में दिनांक 31.03.2023 को मा0 न्यायालय, डी0जे0 कोर्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा द्वारा अभियुक्त तेजसिंह उपरोक्त को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुये **आजीवन कारावास एवं 12,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

2 - थाना कोत0 जालौन में मु0अ0सं0 160/2018 (वाद संख्या – 118/2018) धारा 363/302/34/201/404 भादवि बनाम 1.रामपाल पुत्र बड़ीपाल 2.बड़ीपाल पुत्र नेकसाई निवासी कैथा थाना कोत0 जालौन जनपद जालौन के मामले में दिनांक 31.03.2023 को मा0 न्यायालय, द0प्र0क्षे0 कोर्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा द्वारा अभियुक्त 1. रामपाल 2. बड़ीपाल उपरोक्त को धारा 363/302/34/201/404 भादवि में दोषी पाते हुये **आजीवन कारावास एवं 47,000-47,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

3 - थाना कोत0 उर्ई में मु0अ0सं0 1250/2015 (वाद संख्या – 56/2015 व 05/16) धारा 363/366/368/376(डी)/506 भादवि , 5/6 पॉक्सो तथा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बनाम 1.रामलला पुत्र कपिल देव पाण्डेय निवासी मो0 नया पटेल नगर उर्ई जनपद जालौन 2.मो0 फिरोज पुत्र अल्लाबरख्श निवासी मो0 बघौरा उर्ई जनपद जालौन 3. सूर्यभान पुत्र श्याम सिंह निवासी कस्वा व थाना विवार जनपद हमीरपुर के मामले में दिनांक 31.03.2023 को मा0 न्यायालय, एडीजे स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा द्वारा अभियुक्तगण रामलला आदि 03 नफर को धारा 363/366/368/376(डी)/506 भादवि , 5/6 पॉक्सो तथा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में दोषी पाते हुये **22-22 वर्ष कारावास एवं 45,000-45,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

4 - थाना कोत0 जालौन में मु0अ0सं0 750/2010 (वाद संख्या – 180/2010) धारा 304/506 भादवि बनाम 1.रामनारायण पुत्र नेकसाई 2.संजीव पुत्र रामनारायण 3. रामेश्वर पुत्र बाबूराम 4. रामखिलौने पुत्र कड़रै निवासीगण खर्रा थाना कोत0 जालौन जनपद जालौन के मामले में दिनांक 31.03.2023 को मा0 न्यायालय, डी0जे0 कोर्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त 1. रामनारायण 2. संजीव 3. रामेश्वर 4. रामखिलौने उपरोक्त को धारा 304/506 भादवि में दोषी पाते हुये **10-10 वर्ष कारावास एवं 10,000-10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

5 - थाना सिरसाकलार में मु0अ0सं0 290/2006 (वाद संख्या – 243/2007) धारा 307/308 भादवि बनाम 1.विमल कुमार पुत्र भरतलाल समाधिया 2.संजय उर्फ राजू पुत्र भरतलाल समाधिया निवासीगण ग्राम इटहिया थाना सिरसाकलार के मामले में दिनांक 31.03.2023 को मा0 न्यायालय, डी0जे0 कोर्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त 1. विमल 2. संजय उपरोक्त को धारा 308 भादवि में दोषी पाते हुये **04-04 वर्ष कारावास एवं 4,000-4,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**